

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

बीमा कंपनियों बिपरजॉय दावों का फास्ट ट्रैक पर निपटान करेंगी

Insurance Companies to settle Biparjoy Claims on Fast Track

चक्रवात बिपरजॉय (जून 2023) से विभिन्न राज्यों में संपत्ति (घरों और व्यवसायों) और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की संभावना है। इस क्षेत्र के विनियामक आईआरडीएआई ने सभी साधारण बीमा कंपनियों और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को चक्रवात से उत्पन्न दावों के त्वरित निपटान के लिए जांचकर्ताओं, सर्वेक्षकों और हानि समायोजकों की सेवाओं सहित तत्काल सेवा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाने के निर्देश जारी किए हैं।

बीमा कंपनियों को परामर्श दी गई है कि वे प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक वरिष्ठ कार्यकारी के नामांकन की सूचना राज्य के मुख्य सचिव/संबंधित अधिकारी को तुरंत दें।

बीमाकर्ता अपनी 24x7 हेल्पलाइनों, जिला स्तर पर विशेष दावा डेस्क के माध्यम से दावाकर्ताओं को जवाब / सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें दावों के त्वरित प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रत्यायोजित दावा निपटान टीमों होंगी। बीमा कंपनियों को परामर्श दी गई है कि वे दावे के भुगतान/लेखा भुगतान का निपटान यथाशीघ्र करें और पॉलिसीधारकों को पत्राचार के लिए जहां भी संभव हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

Cyclone Biparjoy (June 2023) is likely to have caused loss to property (homes and businesses) and infrastructure in various States. The Sector regulator IRDAI has issued instructions to all General Insurers and Standalone Health Insurance Companies to mobilise all resources to ensure immediate service response including engaging the services of investigators, surveyors and loss adjustors for quick settlement of claims arising out of the havoc created by the Cyclone.

The insurers have been advised to communicate the nomination of a Senior Executive in each affected State / UT to the Chief Secretary/ Officer concerned of the State immediately.

Insurers will be responding/assisting the claimants through their 24x7 helplines, special claims desks at district level with delegated claims settlement teams for speedy processing and settlement of claims. Insurers have been advised to settle claim payments/on account payments at the earliest and also encourage policyholders to use electronic communication wherever possible for correspondence.